न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–56 / 17 (2017 / 00157) वाद पत्र

उनवान

1–मीयाचन्द पिता माना जाट निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–हीरा पिता माना जाट निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादीगण

बनाम

1–ऐजी पुत्री नेनुराम कुम्हार निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–अणछी पुत्री नेनुराम कुम्हार निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–प्रेमी पुत्री नेनुराम कुम्हार निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–बालु पिता अमरा कुम्हार निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–सोहन पिता अमरा कुम्हार निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–राजस्थान राज्य जरिये तसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद – **अधिवक्ता वादीगण**

निर्णय

दिनांक 04.04.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पीथा का खेड़ा पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादीगण के नाम साबिक आराजी नम्बर 379 / 2 रकबा 2 बिस्वा भूमि स्थित थी। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की साबिक आराजी संख्या 379 / 3 मीन रकबा 2 बिस्वा स्थित थी प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत है। वादीगण की साबिक आराजी संख्या साबिक नक्शे में तरमीन होकर नक्शै में साबिक आराजी 379 / 1 के दक्षिण दिशा में फिट थी प्रमाण में साबिक नक्शा प्रस्तुत है। भु–प्रबन्ध के दौरान वादीगण के साबिक आराजी संख्या 379 / 2 के नवीन नम्बर 604 रकबा 0.02 है. गैमु. बाड़ा तथा प्रतिवादीगण की साबिज आराजी संख्या 379 / 3 के नवीन नम्बर 603 रकबा 0.02 है. गैमु बाड़ा कायम हुये प्रमाण में नकल मीलान क्षैत्रफल प्रस्तुत है। भु–प्रबन्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियो को नवीन नक्शै में किसी प्रकार का हेरफेर करने या नया रकार्ड कायम करने का कोई विधिक आदेश नही होते हुए भी उन्होने वादीगण की नवीन आराजियात संख्या 604 के नवीन नक्शै को गलत रूप से कायम कर दिया तथा नवीन नक्शै में प्रतिवादीगण की आराजी संख्या 603 रकबा 0.02 है. को वादीगण के साबिक नक्शै की आराजियात की जगह फिट कर दिया तथा वादीगण की आराजी संख्या 604 रकबा 0.02 है. को प्रतिवादीगण की साबिक आराजियात की जगह नवीन नक्शै में फिट कर दिया जिससे वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा कराने के अधिकारी है। वर्तमान में वादीगण साबिक नक्शे के अनुरूप ही मौके पर काबिज है। भू–प्रबन्ध विभाग की त्रुटि तुलनात्मक नक्शै से स्पष्ठ है। वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को इस त्रुटि को दुरस्त कराने के लिये कहा लेकिन प्रतिवादीगण इन्कार हो गये वादीगण ने अन्तिम बार दिनांक 10.07.17 को कहा लेकिन उन्होने मना कर दिया जिससे वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करने पर विवश होना पड़ा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 प्रभावित पक्षकार है तथा प्रतिवादी संख्या 6 भूमिधारी होने से पक्षकार है जिसे उन्है प्रतिवादीगण बनाये गये है।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 02.08.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही गई। प्रतिवादी सख्या 4 व 5 उपस्थित है तथा जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब मे वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर कोई आपत्ति जाहीर नही की है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम पीथा का खेड़ा के आराजी नम्बर 604 रकबा 0.02 हे0 को नवीन नक्शै में साबिक नक्शै के अनुरूप दर्ज कर प्रतिवादी की नवीन आराजी संख्या 603 की जगह फिट करने व राजस्व रेकार्ड में नवीन आराजी संख्या 603 रकबा 0.02 है. वादीगण के नाम व नवीन आराजी संख्या 604 रकबा 0.02 है. को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः

आदेश

ग्राम पीथा का खेड़ा के आराजी नम्बर 604 रकबा 0.02 हे0 को नवीन नक्शै में साबिक नक्शै के अनुरूप दर्ज कर प्रतिवादी की नवीन आराजी संख्या 603 की जगह फिट करने व राजस्व रेकार्ड में नवीन आराजी संख्या 603 रकबा 0.02 है. वादीगण के नाम व नवीन आराजी संख्या 604 रकबा 0.02 है. को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी किया जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

<u>मूल वाद में डिक्री</u>

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा (राज)

पीठासीन अधिकारीः–श्री गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–56 / 17 (2017 / 00157) वाद पत्र

उनवान

1–मीयाचन्द पिता माना जाट निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–हीरा पिता माना जाट निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा — वादीगण

बनाम

1–ऐजी पुत्री नेनुराम कुम्हार निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–अणछी पुत्री नेनुराम कुम्हार निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–प्रेमी पुत्री नेनुराम कुम्हार निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–बालु पिता अमरा कुम्हार निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–सोहन पिता अमरा कुम्हार निवासी पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–राजस्थान राज्य जरिये तसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा — **प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रुबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पीथा का खेड़ा के आराजी नम्बर 604 रकबा 0.02 हे0 को नवीन नक्षै में साबिक नक्षै के अनुरूप दर्ज कर प्रतिवादी की नवीन आराजी संख्या 603 की जगह फिट करने व राजस्व रेकार्ड में नवीन आराजी संख्या 603 रकबा 0.02 है. वादीगण के नाम व नवीन आराजी संख्या 604 रकबा 0.02 है. को प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती की घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण जारी किया जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा

यह आज तारीक 04.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाडा